19/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.
वादी के वाद पर उपलब्ध दस्तावेजात
व बहस वकील वादी से वाद वादी डिक्री
किया जाना उचित है। अतः वादी का
वाद डिक्री किया जाता है। पत्रावली
बाद फैसला होकर दाखिल दफ्तर
हो निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 49/2019

दिनांक रजु :– 5–2–2019

पीठासीन अधिकारी
श्री वृजेन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

प्रेमचन्द उर्फ रामभरोसी पुत्र बदरी दत्तक पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम निर्झरना हालवासी एफ461 जे.जे. कॉलोनी इन्द्रपुरी बुद्धनगर नई दिल्ली

(वादी)

बनाम

1. कल्याण पुत्र घासी जाति बैरवा निवासी ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. रेवड़ पुत्र घासी जाति बैरवा निवासी ग्राम संवासा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
3. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम मटलाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
4. सुखजी पुत्र स्व. श्री नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम मटलाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
5. जयराम पुत्र स्व. श्री नारायण जाति बैरवा निवासी ग्रम मटलाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र उद्घोषणा

निर्णय दिनांक : 19–07–2023

उपस्थित :– श्री विजय कुमार शर्मा एडवोकेट – वादी की ओर से

श्री चन्दशेखर बैरवा एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से

प्रतिवादी संख्या 6 की एकतरफा कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 56 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि वाकै ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत् एक दावा उद्घोषणा वादी ने प्रस्तुत किया जिसमे तलबी होकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित आये। वादी में वर्णित चरण के अनुसार वर्तमान खातेदारी भूमि नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा निवासी निर्झरना के नाम दर्ज है। नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा नाऔलाद फोत हो गया है जिसकी मृत्यु दावा दायरी के अर्सा पूर्व करीब 25–30 साल पूर्व हो चुकी है। नाथूलाल के कोई जायन्दा पुत्र या पुत्री तथा पत्नी भी नही है। जिसका सजरा खानदान वाद पत्र के चरण संख्या 3 में वर्णित है। नाथूलाल ने अपने जीवनकाल में वादी को बाल्यकाल मे ही समाज, बिरादरी, रिश्तेदारो व गांव के सर्व समाज के प्रतिष्ठित लोगो के समक्ष हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार दत्तक ग्रहण कर लिया था जिसमे वादी के माता– पिता की भी सहमति थी। वादी का लालन–पालन व शादी भी नाथूलाल ने की तथा वादी ने वृद्वावस्था मे नाथूलाल की सेवा सुश्रुषा की थी। नाथूलला की मृत्यु के पश्चात उसका कपाल, पिण्डदान, अस्थि विसर्जन, द्वादशा आदि धार्मिक कार्यकम सामाजिक रिति रिवाज अनुसार वादी द्वारा ही सम्पन्न करवाये गये थे। वादी अपने दत्तक पिता नाथूलाल के जीवनकाल से ही आराजीयात वादग्रस्त पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मृतक नाथूलाल की बहिनो मृतका मन्नी एवं जानकी के भात, जामणे आदि भी वादी द्वारा ही किए गये थे। वादी ने अपने जैविक पिता बद्री से आने वाली सम्पत्ति में हिस्सा नही ले रखा है। आराजीयात वादग्रस्त वर्तमान समय में स्व. नाथूलाल के नाम दर्ज हैं तहसील लालसोट के समक्ष नामान्तकरण हेतू आवेदन करने पर तहसीलदार लालसोट इंकार हो जाने से वादी को यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। वादी मृतक नाथूलाल का दत्तक पुत्र है तथा दत्तक पुत्र होने के कारण आराजीयात वादग्रस्त का एकमात्र हकदार है। इसलिए उद्घोषणा आराजी खसरा नं0 56 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा वाकै ग्राम निर्झरना का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा का नाम विलोपित कर वादी का नाम दर्ज किया जावें।

वाद पत्र वादी द्वारा प्रस्तुत करने पर वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे वादी के वाद को स्वीकार किया जिससे कोई विवाधक नही बनना पाया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अवलोकन करने पर न्यायालय हाजा द्वारा मुख्य विवाद

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

यह पाया गया कि " आया नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा का वादी दत्तक पुत्र है" इसी विवाधक पर जवाब दावा एवं वाद पत्र के अनुसार वादी द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन मे वादी ने अपना शपथ पत्र तथा अन्य गवाह हजारी पुत्र बद्रीप्रसाद जाति बेरवा निवासी ग्राम निर्झरना तथा कैलाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति बैरवा निवासी ग्राम निर्झरना का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा दस्तावेजात मे वादी द्वारा आराजी वादग्रस्त की जमाबंदी तथा एक पंचनामा दिनांक 06–06–2018 स्टाम्प किमती 100/– रूपये पर गांव के प्रबुद्व लोगो द्वारा किये गये हस्ताक्षर को प्रस्तुत किया है।

वाद पत्र में वर्णित तथ्यो तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत किये गए इकबाली जवाब दावे तथा साक्ष्य में प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र पर विवेचन किया गया । यह अविवादित है कि नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा निवासी निर्झरना नाऔलाद फौत हो गया था। जिसकी दो बहिने मन्नी तथा जानकी थी जिनके वारिसान क्रमशः कल्याण, रेवड, लक्ष्मण, सुखजी, जयराम विधमान है। जो प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के रूप मे दर्ज है जिनका इकबाली जवाब दावा रिकार्ड पर विधमान है। इकबाली जवाब दावे में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वादी के वाद मे वर्णित सम्पूर्ण तथ्यो को स्वीकार किया है तथा नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा का दत्तक पुत्र वादी है। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है। नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा के वारिसान को देखने पर यह तथ्य सामने आता है कि नाथूलाल पुत्र पांचू बैरवा के प्रथम पीढी के रूप में केवल बहिने मन्नी व जानकी विधमान थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 इनके हकीकी वारिस है जिन्होने इकबाली जवाब दावे मे वादी को नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा का दत्तक पुत्र तसलीम किया है। इस विवाधक का निपटारा वादी के हक में तय किया जाता है। कानून की मंशा यह है कि जहां पर विरोध करने वाला पक्षकार अपने हक में क्लेम नही करता है वरना वादी के हक को मान लेता है वहां पर अन्य प्रकार की साक्ष्य की कोई आवश्यकता नही है। प्रकरण में नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा के वारिसान ने भी विवाधक को वादी के हक में माना है इसलिए प्रकरण प्रतिवादीगण के एडमिशन के रूप में स्वीकार किया जाकर यह निस्तारित करने के पर्याप्त कारण है कि नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा निवासी निर्झरना का वादी दत्तक पुत्र है एवं उसका एकमात्र हकीकी वारिस है। भारतीय कानून के अनुसार किसी तथ्य को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उस तथ्य को साबित करने की

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

आवश्यकता नही होती है। इस हेतू भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया संहिता मे प्रावधान किये गये हैं आदेश 12 नियम 6 के अनुसार स्वीकृत तथ्य को साबित नही किया जावेगा तथा इस आधार पर दावा डिक्री किया जा सकता है।

इस तथ्य के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता वादी ने आदेश 12 नियम 6 पर एक न्यायिक दृष्टान्त सीसीसी 2012(2) पेज 275 (P&H) उनवान तथा सीसीसी 2012(2) पेज 534 (P&H) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार स्वीकृत तथ्य को साबित नही किया जाता है, प्रस्तुत किए है। जवाब दावे के अनुसार वादी का आराजी वादग्रस्त का वादी का काफी लम्बे समय से कब्जा भी है। इस सभी तथ्यो को व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त को देखते हुए वादी का वाद वादी के पक्ष में बखुबी साबित होता है। जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण पत्रावली से प्रकट नही है इसलिए वादी मृतक नाथूलाल पुत्र पांचू कौम बैरवा निवासी निर्झरना का दत्तक पुत्र होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 56 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम निर्झरना पटवार हल्का निर्झरना तहसील लालसोट (हाल तहसील निर्झरना) के राजस्व अभिलेख में अंकित मृतक नाथूलाल पुत्र पांचू बैरवा कौम बैरवा के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा नाथूलाल पुत्र पांचू बैरवा का नाम विलोपित किया जाकर प्रेमचन्द उर्फ रामभरोसी पुत्र बदरीलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल का नाम खातेदार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतू हाल तहसीलदार निर्झरना को आदेश दिये जाते है इस आशय की तहरीर तहसीलदार निर्झरना को जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19–07–2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी, लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)